चयन एवं भर्ती
पुलिस मुख्यालय,
मध्यप्रदेश पुलिस, भोपाल

बालाघाट, मण्डला एवं डिण्डोरी जिलों के लिए

विशेष सहयोगी दस्ता भर्ती 2022 हेतु नियम पुस्तिका

आवेदन जमा करने की प्रारम्भ तिथि	06/12/2022
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	28/12/2022
परीक्षा शुल्क	नि:शुल्क

नोट- आवेदन पत्र संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जमा किये जायेंगे।

टिप्पणी:-

1. आवेदन पत्र ऑफलाईन संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जमा किये जायेंगे।
2. आवेदक जिस जिले के लिये आवेदन कर रहा है, उसे उस जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
3. आवेदन पत्र के साथ समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है।

अध्याय-1

बालाघाट, डिण्डोरी एवं मण्डला जिले में विशेष सहयोगी दस्ता (Special Support Unit) की भर्ती हेतु नियम-2022

1. **सामान्य**

नक्सल प्रभावित जिला-बालाघाट (बैहर, बिरसा, परसवाड़ा, लांजी, किरनापुर), जिला-मण्डला (बिछिया, मवई) एवं जिला-डिण्डोरी (बजाग, धमनापुर, करंजिया) के अधिवासी (domicile) जो पिछले 10 वर्षो से लगातार इन्हीं जिलों में निवासरत है, की भर्ती हेतु इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

जिला	विकासखण्ड	सहयोगियों की संख्या
बालाघाट	बैहर, बिरसा, परसवाड़ा, लांजी, किरनापुर	80
मण्डला	बिछिया, मवई	30
डिण्डोरी	बजाग, समनापुर, करंजिया	40
कुल योग:-	10	150

2. **परिभाषायें:-**

"आरक्षण" से अभिप्रेत है सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्यों के लिये पदों का आरक्षण।

i. "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें का यूथ जिसे संविधान के अनुच्छेद 348 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

ii. "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें का यूथ, जिसे संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

iii. "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित अधिसूचना क्रमांक –एफ-8-5 पच्चीस-4-4-84 तारीख 26 दिसम्बर 1984 द्वारा तथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग किसी रिक्त के संबंध में।

iv. समिति:– समिति से अभिप्रेत है नक्सल प्रभावित जिले (बालाघाट, मंडला एवं डिण्डोरी) के निवासियों की भर्ती हेतु संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में भर्ती समिति गठित की जावेगी जिसमें संबंधित क्षेत्र के सीईओ जनपद एवं रक्षित निरीक्षक सदस्य रहेंगे। भर्ती समिति इन जिलों के विभिन्न जनपदों में जाकर जनपद स्तर पर चयन हेतु पात्र अभ्यर्थियों का चयन करेंगे।

Rahl

3. विशेष भर्ती पदों का विवरण :-

श्रेणियां	UR	OBC	SC	ST	EWS	TOTAL
ओपन	**23**	**23**	**14**	**17**	**10**	**87**
भूतपूर्व सैनिक (10%)	**4**	**4**	**2**	**3**	**-**	**13**
महिला (33%)	**14**	**13**	**8**	**10**	**5**	**50**
योग:-	**41**	**40**	**24**	**30**	**15**	**150**

आरक्षण मध्यप्रदेश राजपत्र सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा जारी आरक्षण क्रमांक एफ 7-53-2019-आ0प्र0-एक भोपाल दिनांक 24 दिसम्बर 2019 के अनुसार है।

4. आरक्षण

i. श्रेणियाँ : सीधी भर्ती के लिए आरक्षण के लिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 का पालन करते हुए, विज्ञापित कुल पदों की आरक्षण अनुसार पदवार तालिका बनाई जाएगी, आरक्षण को **वर्टिकल** (लंबवत) श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा जैसे- अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) - प्रत्येक **वर्टिकल** श्रेणी को आगे **हॉरीजोन्टल** (क्षैतिज) श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा जैसे - महिला और भूतपूर्व सैनिक.

ii. किसी भी आरक्षित वर्टिकल श्रेणी यथा OBC/ST/SC/EWS, अभ्यर्थी जिनके अंक अनारक्षित वर्टिकल (UR) श्रेणी के कट-ऑफ अंक (विज्ञापित पदों के तीन गुना अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची के अंतिम अभ्यर्थी के अंक) से कम नहीं हैं परंतु उन्होंने उम्र, शैक्षणिक योग्यता अथवा शारीरिक योग्यता में छूट का लाभ लिया है तो उनकी गणना आरक्षित श्रेणी में ही होगी.

iii. **हॉरीजोन्टल आरक्षित श्रेणी:-** प्रत्येक वर्टीकल श्रेणी के भीतर हॉरीजोन्टल आरक्षण श्रेणियाँ हैं, जैसे - महिलाएं, या भूतपूर्व सेनिक, इसके लिए, केवल उन्हीं अभ्यर्थियों पर चयन हेतु विचार किया जा सकता है जिन्होंने न्यूनतम अर्ह अंक पाए हों जो कि उनकी अपनी अपनी वर्टीकल श्रेणी यथा OBC/ST/SC/EWS, के कट-ऑफ अंक (विज्ञापित पदों के तीन गुना अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची के अंतिम अभ्यर्थी के अंक) ही हो सकते हैं. हॉरीजोन्टल आरक्षित के लिए पृथक से कट-ऑफ अंक निर्धारित नहीं किए जाएंगे.

iv. म.प्र.शासन गृह (पुलिस) विभाग के आदेश क्रमांक/2076/7463/2015/बी-4/दो भोपाल दिनांक 19.06.2015 द्वारा महिलाओं के लिये दिये गये 33 प्रतिशत 'हॉरीजोन्टल एवं कम्पार्टमेन्ट वाईज' आरक्षण निर्धारित किया गया है, जिसे नियम क्र.-3 की तालिकाओं में दर्शाया गया है।

v. म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. एफ 9-2-98 आ.प्र.एक दिनांक 21 अप्रैल 1999 के द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के लिये शासकीय सेवा में तृतीय श्रेणी के लिये 10 प्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है, जिसे नियम क्र.-3 की तालिकाओं में दर्शाया गया है।

vi. ये तीनों ही आरक्षण महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों एवं स्वयं सेवी होमगार्ड के लिये हॉरीजोन्टल आरक्षण है। योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर इनके लिये आरक्षित पद कैरीफारवर्ड नहीं होंगें। ऐसी स्थिति में इनके लिए रिक्त रहे पद उसी श्रेणी के अन्य उपलब्ध योग्य उम्मीदवारों से भरे जायेंगे, यदि चयन सूची में पहले से ही 15 प्रतिशत होमगार्ड सैनिक, 33 प्रतिशत महिलायें, तथा 10 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिक मेरिट के आधार पर उपलब्ध होंगे तो पृथक से हॉरीजोन्टल आरक्षण और नहीं दिया जायेगा।

vii. यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है कि आर्थिक-सामाजिक वर्ग पर आधारित आरक्षण अर्थात अनुसूचित जाति, अनु. जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण 'वर्टिकल' स्वरूप का है। महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण "हॉरीजोन्टल-ओवरऑल" स्वरुप का है।

viii. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमाक 07-11/2019/आ.प्र./एक दिनांक 02 जुलाई, 2019 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्लू.एस.) के लिए सीधी भर्ती के प्रकरण पर उद्भूत होने वाली रिक्तियों 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है एवं संशोधन आदेश एफ-07-11/2019/ आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 18 जुलाई, 2019 के अनुसार।

ix. आरक्षण के संबंध में यदि म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कोई संशोधन किया जाता है, तो नवीन संशोधन का पालन किया जाएगा। यह विज्ञापन जारी करते समय तत्समय प्रभावशील शासनादेश अनुसार होगा।

x. म.प्र.शासन, गृह विभाग मंत्रालय के पत्र क्र./एफ/2(अ)541/92/ब/(4)/दो भोपाल दिनांक 04.04.1995 के द्वारा पुलिस के कार्य को विशेष प्रकार का कार्य होने से नि:शक्तजन के लिए आरक्षित पदों से भरे जाने से मुक्त रखने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

5. नियुक्ति एवं पदस्थापना :-

i. विशेष सहयोगी दस्ता (special support Unit) का संवर्ग जिला वार होगा।

ii. रिक्त पदों की स्थिति को देखते हुये चयन हेतु पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है।

6. अर्हता:-

i. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं कक्षा उत्तीर्ण (अनुसूचित जनजाति के लिये 5वीं कक्षा उत्तीर्ण) होगी।

ii. नक्सल प्रभावित जिले-बालाघाट, मण्डला, डिण्डोरी के चिन्हांकित नक्सल प्रभावित विकासखण्ड के मूल निवासी, जो पिछले 10 वर्षों से लगातार इन्हीं जिलों में निवासरत हैं, को ही विशेष सहयोगी दस्ते में नियुक्ति की पात्रता होगी।

iii. कोई उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक संतान हैं, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

iv. विज्ञापन जारी होने की तिथिं के बाद की आगामी जनवरी के प्रथम दिन को निर्धारित न्यूनतम आयु पूरी कर ली हो और अधिकतम आयु से अधिक न हो।

v. मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-सी 3-8/2016/1/3 भोपाल दिनांक 05.06.17 एवं संशोधन परिपत्र संख्या सी 3-14/2019/1/3 भोपाल दिनांक 19.12.19 के अनुसार राज्य शासन के वर्दीधारी विभागों की सेवाओं में खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिए आयु-सीमा में अधिकतम छूट निम्नानुसार होंगी:-

क्र.	तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए	न्यूनतम/अधिकतम आयुसीमा (वर्ष)
1	पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	18 से 33
2	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	18 से 38
3	आरक्षित श्रेणी (पुरुष/महिलाआवेदक) – अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग	18 से 38
4	शासकीय/निगम मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी	

vi. प्रोत्साहन स्वरूप आयु सीमा में मिलने वाली छूटें-

क. विक्रम पुरूस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों के मामले में भी उच्चतम आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।

ख. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंर्तजातीय विवाह/प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरूस्कृत किसी दम्पत्ति में से उच्च जाति के पति/पत्नी के मामले में उच्चतम आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक छूट दी जावेगी।

ग. विज्ञापन जारी होने की दिनाँक के बाद की आगामी जनवरी के प्रथम दिन को निर्धारित आयु पूरी कर ली हो और अधिकतम आयु से अधिक न हो।

7.अनुबंध राशि-

सहयोगी राशि– रू **25,000** प्रतिमाह।

8. भर्ती प्रक्रिया :-

i. उपरोक्त तीनों जिलों के नक्सल प्रभावित विकासखण्डों के मूल निवासियों के आवेदकों की न्यूनतम अर्हता की मार्कशीट के अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची चयन समितियों द्वारा तैयार की जावेगी, जो निर्धारित संख्या से तीन गुना तक होगी। शैक्षणिक अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची का उपयोग अभ्यर्थियों की केवल short-listing के लिये होगा तथा उसके अंक चयन सूची में शामिल नहीं होंगे।

ii. नियुक्ति पूर्व अभ्यर्थियों का पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन किया जायेगा।

iii. शारीरिक परीक्षा के 80 अंक तथा साक्षात्कार के 20 अंक निर्धारित होंगे। शारीरिक परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर जिलावार आरक्षणवार चयन सूची तैयार कर चयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया जायेगा।

9. **शारीरिक दक्षता परीक्षा :-**

i. शारीरिक दक्षता परीक्षा संबंधित चयन समितियों द्वारा संपादित की जाएगी। भर्ती में शारीरिक प्रवीणता परीक्षा में 1600 मीटर की दौड़ जिसे 10 मिनट में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। शारीरिक प्रवीणता के लिये कुल 100 अंक रहेंगे, जिसे निम्नानुसार प्रदाय किया जायेगा:-

क्र.	समय(मिनट : सैकेण्ड में)	अंक
1	5:00 या उससे कम	100
2	5:00 से अधिक 5:03 तक	99
3	5:03 से अधिक 5:06 तक	98
4	5:06 से अधिक 5:09 तक	97
5	5:09 से अधिक 5:12 तक	96
6	5:12 से अधिक 5:15 तक	95
7	5:15 से अधिक 5:18 तक	94
8	5:18 से अधिक 5:21 तक	93
9	5:21 से अधिक 5:24 तक	92
10	5:24 से अधिक 5:27 तक	91
11	5:27 से अधिक 5:30 तक	90
12	5:30 से अधिक 5:33 तक	89
13	5:33 से अधिक 5:36 तक	88
14	5:36 से अधिक 5:39 तक	87
15	5:39 से अधिक 5:42 तक	86
16	5:42 से अधिक 5:45 तक	85
17	5:45 से अधिक 5:48 तक	84
18	5:48 से अधिक 5:51 तक	83
19	5:51 से अधिक 5:54 तक	82
20	5:54 से अधिक 5:57 तक	81
21	5:57 से अधिक 6:00 तक	80
22	6:00 से अधिक 6:03 तक	79
23	6:03 से अधिक 6:06 तक	78
24	6:06 से अधिक 6:09 तक	77
25	6:09 से अधिक 6:12 तक	76
26	6:12 से अधिक 6:15 तक	75
27	6:15 से अधिक 6:18 तक	74
28	6:18 से अधिक 6:21 तक	73

29	6:21 से अधिक 6:24 तक	72
30	6:24 से अधिक 6:27 तक	71
31	6:27 से अधिक 6:30 तक	70
32	6:30 से अधिक 6:33 तक	69
33	6:33 से अधिक 6:36 तक	68
34	6:36 से अधिक 6:39 तक	67
35	6:39 से अधिक 6:42 तक	66
36	6:42 से अधिक 6:45 तक	65
37	6:45 से अधिक 6:48 तक	64
38	6:48 से अधिक 6:51 तक	63
39	6:51 से अधिक 6:54 तक	62
40	6:54 से अधिक 6:57 तक	61
41	6:57 से अधिक 7:00 तक	60
42	7:00 से अधिक 7:03 तक	59
43	7:03 से अधिक 7:06 तक	58
44	7:06 से अधिक 7:09 तक	57
45	7:09 से अधिक 7:12 तक	56
46	7:12 से अधिक 7:15 तक	55
47	7:15 से अधिक 7:18 तक	54
48	7:18 से अधिक 7:21 तक	53
49	7:21 से अधिक 7:24 तक	52
50	7:24 से अधिक 7:27 तक	51
51	7:27 से अधिक 7:30 तक	50
52	7:30 से अधिक 7:33 तक	49
53	7:33 से अधिक 7:36 तक	48
54	7:36 से अधिक 7:39 तक	47
55	7:39 से अधिक 7:42 तक	46
56	7:42 से अधिक 7:45 तक	45
57	7:45 से अधिक 7:48 तक	44
58	7:48 से अधिक 7:51 तक	43
59	7:51 से अधिक 7:54 तक	42
60	7:54 से अधिक 7:57 तक	41
61	7:57 से अधिक 8:00 तक	40
62	8:00 से अधिक 8:03 तक	39
63	8:03 से अधिक 8:06 तक	38
64	8:06 से अधिक 8:09 तक	37
65	8:09 से अधिक 8:12 तक	36

66	8:12 से अधिक 8:15 तक	35
67	8:15 से अधिक 8:18 तक	34
68	8:18 से अधिक 8:21 तक	33
69	8:21 से अधिक 8:24 तक	32
70	8:24 से अधिक 8:27 तक	31
71	8:27 से अधिक 8:30 तक	30
72	8:30 से अधिक 8:33 तक	29
73	8:33 से अधिक 8:36 तक	28
74	8:36 से अधिक 8:39 तक	27
75	8:39 से अधिक 8:42 तक	26
76	8:42 से अधिक 8:45 तक	25
77	8:45 से अधिक 8:48 तक	24
78	8:48 से अधिक 8:51 तक	23
79	8:51 से अधिक 8:54 तक	22
80	8:54 से अधिक 8:57 तक	21
81	8:57 से अधिक 9:00 तक	20
82	9:00 से अधिक 9:03 तक	19
83	9:03 से अधिक 9:06 तक	18
84	9:06 से अधिक 9:09 तक	17
85	9:09 से अधिक 9:12 तक	16
86	9:12 से अधिक 9:15 तक	15
87	9:15 से अधिक 9:18 तक	14
88	9:18 से अधिक 9:21 तक	13
89	9:21 से अधिक 9:24 तक	12
90	9:24 से अधिक 9:27 तक	11
91	9:27 से अधिक 9:30 तक	10
92	9:30 से अधिक 9:33 तक	9
93	9:33 से अधिक 9:36 तक	8
94	9:36 से अधिक 9:39 तक	7
95	9:39 से अधिक 9:42 तक	6
96	9:42 से अधिक 9:45 तक	5
97	9:45 से अधिक 9:48 तक	4
98	9:48 से अधिक 9:51 तक	3
99	9:51 से अधिक 9:54 तक	2
100	9:54 से अधिक 9:57 तक	1
101	9:57 से अधिक 10:00 तक	00/पात्र
102	10:00 से अधिक	अपात्र

ii. प्राप्त अंको की गुणांक 0.8 से गुणा करने के बाद ही गणना की जाएगी।

iii. सभी अभ्यर्थियों के शारीरिक दक्षता परीक्षा के परिणाम की सूची संबंधित पुलिस अधीक्षक व्दारा सहायक पुलिस महानिरीक्षक, चयन एवं भर्ती, पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश को भेजेंगे।

10. नियुक्ति :-

i. संबंधित समितियों से प्राप्त सूचियों अनुसार अभ्यर्थियों के चयन अंतिम सूची सहायक पुलिस महानिरीक्षक, चयन एवं भर्ती, पुलिस मुख्यालय भोपाल व्दारा जारी की जायेगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को उनके जिले को आवंटित किया जाएगा।

ii. निर्धारित रिक्त पदों की संख्या के 20 प्रतिशत चयनित उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची रखी जायेगी।

iii. प्रतीक्षा सूची की वैधता जारी होने की दिनांक से एक वर्ष तक होगी।

iv. किसी एक इकाई में पदस्थापना के पश्चात दूसरी इकाई (केवल इन तीन जिलों) में अस्थाई तौर पर ड्यूटी हेतु पुलिस महानिदेशक/अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, गुप्तवार्ता द्वारा भेजा जा सकेगा

v. चयनित अभ्यर्थी के साथ जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा एक वर्ष का सेवा अनुबंध किया जायेगा, जो संतोषप्रद सेवा के आधार पर जिला पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर जोनल पुलिस महानिरीक्षक बालाघाट से अनुमति प्राप्त कर जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रतिवर्ष बढ़ाया जा सकेगा। अनुबंध अधिकतम पांच वर्ष के लिए हो सकेगा। अनुबंध किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह के नोटिस द्वारा समाप्त किया जा सकेगा।

vi. पुलिस महानिदेशक द्वारा 5 वर्ष कार्यरत रहे सहयोगी को पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर विशेष सहयोगी दस्ता को आरक्षक के रूप में विशेष नियुक्ति प्रदान की जा सकेगी।

11. स्वास्थ्य परीक्षण :-

नियुक्ति पूर्व अभ्यर्थियों की उनके आवंटित जिले में जिला चिकित्सकीय व शारीरिक जांच आवश्यक होगी :

i. अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिये।

ii. अभ्यर्थी में नॉक-नी अथवा फ्लेट फुट एवं ऑखों से संबंधी कोई रोग नहीं होना चाहिए। अच्छी बायनानुलर दृष्टि का अवश्य हो एवं आंख को टोपों (eylids) एवं आंख की पुतली की बीमारी से ग्रस्त न हो। दृष्टि का सहीपन (acuteness) एक आंख में कम से कम 6/9 और दूसरी आंख से 6/12 हो। अभ्यर्थी जिसे चश्मा लगता हो अनुपयुक्त माना जाएगा। वह प्रमुख रंगों में भेद करने के योग्य अवश्य हो। अभ्यर्थी को चिकित्सक दृष्टि से पूर्णत: योग्य (मेडिकली फिट) होना आवश्यक है।

12. प्रशिक्षण-

नियुक्त सहयोगियों का आर.ए.पी.टी.सी. इंदौर, हॉक फोर्स बालाघाट, प्रशिक्षण शालाओं तथा संबंधित जिलों की पुलिस लाईन में 03 माह का प्रशिक्षण कोर्स आयोजित किया जावेगा।

13. कार्य-

मध्य प्रदेश पुलिस विनियम के पैरा 321, 322, 324, 326, 327, 328 एवं 329 के प्रावधान लागू होंगे। विशेष सहयोगी दस्ता निम्नानुसार कार्यों में तैनात किया जायेगा:-

क. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गश्ती दल

ख. कानून व्यवस्था ड्यूटी

ग. थाना रिजर्व बल

घ. रात्रिकालीन गश्त

ङ. चालक ड्यूटी

च. फिक्स पिकेट

छ. गार्ड ड्यूटी

ज. आसूचना संकलन

14. अन्य सेवा शर्तें :-

i कर्तव्य के दौरान सहयोगियों को यात्रा भत्ता आरक्षक के समान देय होगा।

ii कर्तव्य के दौरान मृत्यु होने पर सहयोगी के पुत्र/पुत्री, पति/पत्नि को अथवा निकटतम स्वपरिजन को पात्रतानुसार सहयोगी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जावेगी।

iii अनुबंध अवधि में कुल 30 दिवस का अवकाश प्रतिवर्ष देय होगा, जो 15-15 दिन के लिए दो किश्तों में क्रमशः नियुक्ति दिनांक एवं छः माह की अवधि पूर्ण होने पर दिया जायेगा। वर्ष का शेष अवकाश अगले अनुबंध अवधि में जोड़ा नहीं जायेगा।

iv अनुबंध पर रखे जाने वाले सहयोगियों को विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा-18 के अंतर्गत शक्तियाँ प्राप्त होंगी।

v उक्त सहयोगियों पर पुलिस बल (अधिकारों पर प्रतिबंध) अधिनियम 1966 एवं पुलिस (द्रोह-उद्दीपन) अधिनियम, 1922 के प्रावधान लागू होंगे।

vi म.प्र. पुलिस विनियम के खण्ड 64 के अनुसार सेवा की सामान्य शर्तों का पालन करना होगा।

vii समस्त अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए पुलिस अधीक्षक नियंत्रणकर्ता अधिकारी होंगे।

viii आवश्यक सुविधाऐं :- कर्तव्य निष्पादित करने के लिये वर्दी/किट निर्धारित मानक के अंतर्गत प्रदाय किये जायेंगे।

ix नक्सल प्रभावी जिलों के सहयोगियों के लिये वर्दी की वेशभूषा का निर्धारण पुलिस महानिदेशक, म.प्र. द्वारा किया जावेगा।

Lalit 5/12/22

(ललित शाक्यवार)

पुलिस उप महानिरीक्षक (चयन/भर्ती)

पुलिस मुख्यालय, भोपाल

आवेदन पत्र का प्रारूप

विशेष सहयोगी दस्ता के पद पर भर्ती हेतु आवेदन पत्र जिला ....

1. आवेदक का नाम ....

2. पिता/पति का नाम ....

3. माता का नाम ....

4. लिंग (महिला/पुरूष) ....

5. श्रेणी ....

6. जन्म तिथि ....

7. गृह जिला ....

8. विकासखण्ड ....

उम्मीवार का वर्तमान फोटो

9. क्या आप विवाहित है? (हां/नहीं) .... यदि हां तो विवाह की तिथि ....

10. जीवित बच्चों की संख्या .... अंतिम बच्चे की जन्म तिथि ....

11. क्या अंतिम बच्चे जुड़वा है? (हां/नहीं) ....

12. यदि आप भूतपूर्व सैनिक है, तो की गई सेवा की अवधि (माह में) ....

13. यदि आप स्वयं सेवी नगर सैनिक है, तो की गई सेवा अवधि (माह में) (न्यूनतम 3 वर्ष) ....

14. क्या आप शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी है ? ....

15. क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी है? (हां/नहीं) ....

16. क्या आप म.प्र.शासन के अधीन छंटनीशुदा कर्मचारी है ? (हां/नहीं) .... यदि हां तो की गई सेवा अवधि (माह में) ....

17. क्या आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से पुरूस्कृत है ? (हां/नहीं) ....

18. क्या आप आवेदित पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता रखते है? (नियम क्र.-5) ....

19. पहचान चिन्ह ....

20. पहचान पत्र क्र. (मतदाता कार्ड/आधार कार्ड/ ड्रायंविग लायसेंस कोई एक) ....

21. शैक्षणिक योग्यता :-

क्र.	कक्षा	रोल नम्बर	परीक्षा वर्ष	प्रतिशत
1	5वीं कक्षा			
2	8वीं कक्षा			

Sahil

22. पत्र व्यवहार का पूरा पता..

....

मोबाईल नम्बर .... पिन कोड ....

दिनांक ....

आवेदक के हस्ताक्षर

नोट :- आवेदन पत्र के साथ समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है।